संख्या-22/2015/1028/18-4-2015-10(बजट)/07.

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त,2015

विषयः- गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो लखनऊ के पत्रांक-29/ई0पी0बी0/आई0आई0ए0 बैठक/2015-16, दिनांक 10-04-2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-668/18-4-2008-10(बजट)/07, दिनांक 06-02-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का. 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 5000 प्रति टी0ई0यू0 (20 फिट कन्टेनर) की दर से प्रदान किया जायेगा जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी" के स्थान पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु माल को भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 6000/-प्रति टी0ई0यू0 (20 फिट कन्टेनर)/रू0 12000/- प्रति टी0ई0यू0, (40 फिट कन्टेनर), जो भी कम हो, की दर से प्रदान किया जायेगा, जिसकी प्रति निर्यातक इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 12.00 लाख तक होगी।

2.निर्यातक इकाई द्वारा अपना कन्साईन्मेंट निर्यात हेतु विदेशी क्रेता को भेजे जाने के लिए शिपमेंट की तिथि से अधिकतम 180 दिवस के अंदर सम्बन्धित क्लेम का दावा प्रत्येक दशा में जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल कर दिया जायेगा, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् दाखिल दावे स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. प्रश्नगत अनुदान एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्माता निर्यातकों को ही देय होगा।

4.योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के प्रभारी के स्तर से दी जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट के स्थान पर निर्यातक इकाई को सम्बन्धित निर्यात हेतु शिपमेंट बिल की कापी व विदेशी क्रेता द्वारा निर्यात के सापेक्ष निर्यातक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किए गये धनराशि के सम्बंध में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।

5.योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि सीधे निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2770/18-4-2012-72(विविध)/12, दिनांक 26.12.2012 की व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

6. निर्यात इकाई द्वारा दावा दाखिल करने हेतु आवेदन पत्र संशोधित प्रारूप तथा योजनान्तर्गत आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया आनलाइन किये जाने के सम्बंध में प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्यात आयुक्त के स्तर से जारी होंगे।

(2) संदर्भित शासनादेश दिनांक 06.02.2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(3) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-434/10-2015, दिनांक 17.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या-1028/18-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 कानपुर।
3. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम/उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम/कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया।
4. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।